[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 30/2018 – केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 30 जुलाई 2018

सा.का.नि.......(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 517(अ) तारीख 31 मई, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 25/2018 तारीख 31 मई, 2018 को उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम (4) की धारा 39 की उपधारा के अधीन **प्रारूप जीएसटीआर-6** में जुलाई, 2017 से अगस्त, 2018 मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा का 30, सितंबर 2018 तक विस्तार करता है ।

[फा.सं.349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(श्रीपार्वती एस. एल)
अवर सचिव, भारत सरकार